Notification dated 7.11.2008

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 22 अक्टोबर, 2008

क्रमांक–2261–मप्रविनिआ–2008 .संसद द्वारा पारित विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 (2) की उपधारा (जेडपी) सहपठित धारा 86(1)(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा निम्न विनियम बनाया गया है :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2008 (जी–33, वर्ष 2008)

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ :

1. ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2008 (जी–33, वर्ष 2008)''** कहलायेंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे ।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे ।

परिभाषाएं :

1.4 ''एबीटी (अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ)'' से अभिप्रेत है उपलब्धता आधारित विद्युत दर (टैरिफ) ।

1.5 ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) तथा इसमें किये गये अनुवर्ती संशोधन ।

1.6 ''राभाप्रेके(एसएलडीसी)'' से अभिप्रेत हैं राज्य भार प्रेषण केन्द्र अथवा स्टेट लोड डेस्पेच सेंटर जैसा कि इसे म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है ।

1.7 ''आयोग'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग अथवा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन ।

1.8 ''विद्युत सहउत्पादन (Cogeneration)'' से अभिप्रेत है एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साथ ऊर्जा के दो अथवा इससे अधिक उपयोगी प्रकारों का उत्पादन करती है (विद्युत को सम्मिलित करते हुए) ।

1.9 ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो उपभोक्ताओं को उसके विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय हेतु एक वितरण प्रणाली के संचालन तथा संधारण हेतु प्राधिकृत है ।

1.10 ''ननऊम (MNRE)'' से अभिप्रेत है भारत सरकार का नवीन तथा नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy of the Govt. of India) ।

1.11 ''नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोत(Renewable Source)'' अथवा ''अपारम्परिक स्त्रोत'' (Non-Conventional Sources)'' से अभिप्रेत है नवीकरणीय (अक्षय) विद्युत उत्पादक स्त्रोत, जैसे कि 25 मेगावाट क्षमता तक की जल–विद्युत लघु/लघुतम/सूक्ष्म (Small/Mini/Micro) परियोजनाएं, पवन, सौर, ज्वलनशील मार्ग पर 100 प्रतिशत उत्पादक गैस पर आधारित (based on 100% producer gas on combustion route) बायोमास, शहरी/नगरपालिका अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट, भू–ताप (Geo-Thermal), ज्वार भाटा (tidal), समुद्र ताप ऊर्जा अन्तरण (Ocean Thermal Energy Conversion-OTEC) अथवा अन्य ऐसे स्त्रोत जो नवीन तथा नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किये गये हों ।

1.12 ''सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र (Solar Photo Voltaic Power Plant)'' से अभिप्रेत है एक सौर फोटो वोल्टिक ऊर्जा संयंत्र जो फोटो वोल्टिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ।

1.13 ''रापाइ (एसटीयू)'' से अभिप्रेत है राज्य पारेषण इकाई (State Transmission Utility)

1.14 ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' (Transmission Licensee)'' से अभिप्रेत है एक अनुज्ञप्तिधारी जो पारेषण लाइनों को स्थापित अथवा प्रचालित किये जाने के संबंध में उत्तरदायी है ।

1.15 ''यू आई (अनशेड्यूल्ड इन्टरचेंज)'' से अभिप्रेत है गैर–अनुसूचित आदान–प्रदान (Un-scheduled Interchange) ।

1.16 जब तक संदर्भ विशेष की अन्यथा अपेक्षा न हो, इस विनियम में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2004 में परिभाषित किया गया है ।

विनियमों का उद्देश्य :

1.17 इन विनियमों के प्रकाशन का उद्देश्य ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों का प्रवर्तन उपलब्ध कराना, इन विद्युत उत्पादक संयन्त्रों को ग्रिड के साथ संयोजित किये जाने को सुगम बनाना, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी की कुल आवश्यकता का प्रतिशत विनिर्दिष्ट करना जो कि उनके द्वारा ऊर्जा के नवीन तथा नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों के उत्पादकों से क्रय किया जावेगा ।

ऊर्जा के सहउत्पादन तथा नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से क्रय की जाने वाली विद्युत की मात्रा :

1.18 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा समस्त नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत के सहउत्पादन तथा उत्पादन की न्यूनतम विद्युत की क्रय की जाने वाली मात्रा जो उनकी कुल वार्षिक खपत (तृतीय पक्ष विक्रय तथा स्वयं के उपयोग को सम्मिलित कर) के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जावेगी, माह मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान उसकी उपलब्धता के अध्यधीन, निम्नानुसार होगी :–

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा का विद्युत सहउत्पादन तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत		
	पवन ऊर्जा (%)	बायोमास (%)	विद्युत सहउत्पादन तथा अन्य स्त्रोत (%)
2008–09	5	2	3
2009–10	6	2	2
2010–11	6	2	2
2011–12	6	2	2

टीप : अनुवर्ती वर्षों हेतु, आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु पृथक से न्यूनतम क्रय दायित्वों को निर्दिष्ट करेगा, जैसा कि आयोग इसे उचित समझे ।

1.19 यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम क्रय अर्हताओं की आपूर्ति करते हैं तथा तत्पश्चात भी नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से, विद्युत सहउत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, तो ऐसी दशा में वितरण अनुज्ञप्तिधारी अथवा निवेशक/उत्पादकगण आयोग को ऐसे अध्याप्ति प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में सम्पर्क कर सकते हैं । आयोग वर्तमान में इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित करने का इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि वह निकट भविष्य में निवेशकों से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से निर्दिष्ट न्यूनतम सीमाओं से अधिक की मात्रा के प्रस्ताव प्राप्त होने की ऐसी कोई संभावना नहीं पा रहा है ।

1.20 वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु न्यूनतम क्रय अर्हता की शर्त आकस्मिक विशेष परिस्थितियों, जैसे कि युद्ध, हड़ताल, तालाबंदी, दंगे, दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा, आदि के अन्तर्गत लागू नहीं होगी ताकि वितरण अधिकारी आकस्मिक परिस्थितियों के अन्तर्गत उसके उपभोक्ताओं हेतु विद्युत प्रदाय तथा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ बने।

1.21 ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों तथा सहउत्पादन इकाईयों द्वारा उत्पादित ऊर्जा की अध्याप्ति (Procurement) एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की ओर से केन्द्रीकृत रूप से आयोग द्वारा समय–समय पर उसके टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट की गई दरों पर की जावेगी । इस प्रकार अध्याप्त की गई ऊर्जा को एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्व वर्षानुसार उनमें से प्रत्येक में कुल वास्तविक ऊर्जा आहरण के अनुपात में आवंटित किया जावेगा । यह व्यवस्था अन्तरण योजना नियम, 2006 (Transfer Scheme Rules, 2006) के लागू रहने तक वैध रहेगी ।

1.22 विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement - PPA) को विद्युत उत्पादक तथा एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित किया जावेगा, जो कि बारी से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग (Back to Back) अनुबंध करेंगे ।

1.23 उपरोक्त आवंटन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष हेतु आवेदन में विद्युत सहउत्पादन तथा ऊर्जा के समस्त नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत क्रय की प्रस्तावित मात्रा वितरण/खुदरा टैरिफ के अवधारण हेतु विद्युत क्रय के स्त्रोतों को दर्शाते हुए प्रदर्शित करेंगे ।

विद्युत सहउत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत टैरिफ का अवधारण :

1.24 आयोग नियंत्रण अवधि हेतु समय–समय पर विद्युत सहउत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत से विद्युत की अध्याप्ति हेतु विद्युत दर (टैरिफ) का अवधारणा करेगा ।

विद्युत क्रय अनुबंध (Power Purchase Agreement) :

1.25 विद्युत क्रय अनुबंध, संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से न्यूनतम 20 वर्ष की अवधि हेतु निष्पादित किया जावेगा । तथापि, यदि विद्युत उत्पादक, विद्युत अनुज्ञप्तिधारी को कम अवधि के लिये स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्ष विक्रय द्वारा खपत के उपरान्त अपना विकल्प प्रस्तुत करता है तो यह अनुबंध लघुत्तर अवधि के लिये भी निष्पादित किया जा सकेगा ।

1.26 विद्युत उत्पादकों को, अनुबंध के निष्पादन से पूर्व समस्त वांछित वैधानिक सहमतियां, आयोग से अनुज्ञा प्राप्ति को सम्मिलित करते हुए, प्राप्त करनी होंगी । ऐसी सहमति/अनुज्ञा की वैधता अनुबंध की सम्पूर्ण अवधि हेतु लागू होगी ।

संयोजन तथा मीटरीकरण (Connectivity and Metering)

1.27 विद्युत सहउत्पादन तथा समस्त नवीकरणीय स्त्रोत, केवल छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी तथा बायो–गैस स्त्रोतों को छोड़कर, राज्य ग्रिड के साथ 132/33/11 केवी के वोल्टेज स्तर पर संयोजित किये जावेंगे जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित की गई तकनीकी उपयुक्तता के अध्यधीन होंगे । छत के ऊपर स्थापित सौर पीवी स्त्रोत तथा बायोगैस संयंत्रों हेतु, संयोजन न्यून वोल्टेज पर अथवा 11 केवी पर, जैसा कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे तकनीकी रूप से उचित माना जावेगा, अनुज्ञेय किया जा सकेगा ।

1.28 मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 को अधिसूचित विद्युत उत्पादन को अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों (सौर, पवन, बायो–ऊर्जा आदि) के माध्यम से प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के अनुसार, विद्युत की निकासी (Power evacuation) परियोजना का एकीकृत भाग होगी तथा विद्युत निकासी सुविधा संबंधी व्यय विकासकर्ता (Developer) द्वारा वहन किये जावेंगे । इस प्रकार गठित की गई अधोसंरचना, भले ही इसकी लागत का भुगतान विकासकर्ता द्वारा किया गया हो, समस्त प्रयोजनों हेतु संबंधित अनुज्ञप्तिधारी की सम्पत्ति होगी । अनुज्ञप्तिधारी इसका अनुरक्षण विकासकर्ता के परिव्यय पर करेगा तथा अन्य किसी विकासकर्ता से उपाप्त की गई विद्युत की निकासी हेतु, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार की गई व्यवस्था विद्यमान विकासकर्ता(ओं) को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी, उसे प्रयोग में लाने का अधिकार होगा ।

1.29 मापन मापदण्डों हेतु उत्पादन संयंत्र स्थल पर वांछित मीटरीकरण का संस्थापन मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.06 को मध्यप्रदेश राज्य में अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी अधिसूचित की गई प्रोत्साहन नीति के अनुसार समय–समय पर जारी किये गये टैरिफ आदेशानुसार किया जावेगा ।

1.30 जहां कहीं भी ऊर्जा का अन्तःक्षेपण (injection) प्रणाली में किया जाता है, मीटर का वाचन तत्संबंधी वितरण अनुज्ञप्तिधारी/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जैसा कि लागू हो, किया जावेगा । भुगतान हेतु

देयकों के स्वीकार किये जाने के प्रयोजन हेतु, एमपी ट्रेडको द्वारा ग्रिड में अन्तःक्षेप किये गये यूनिटों हेतु संबंधित वितरण कम्पनी के नामांकित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र स्वीकार किया जावेगा ।

विद्युत सहउत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों हेतु खुली पहुंच :

1.31 राज्य के अन्दर विद्युत सहउत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत विभिन्न निर्दिष्ट प्रभारों के भुगतान किये जाने पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली में पर्याप्त पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अध्यधीन खुली पहुंच प्रदान की जावेगी जो कि मप्र शासन द्वारा दिनांक 17.10.06 को अधिसूचित की गई मप्र शासन की राज्य में ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों को प्रात्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अध्यधीन होगी ।

विद्युत सहउत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से अनुसूचीकरण

1.32 विद्युत सहउत्पादन तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को ''योग्यता क्रमानुसार, प्रेषण सिंद्धातों (Merit Order Dispatch Principles)'' की परिसीमाओं से बाहर रखा जावेगा ।

विद्युत सहउत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय बन्द होने पर विद्युत का आहरण :

1.33 विद्युत सहउत्पादन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों के संयंत्र से विद्युत प्रदाय बन्द होने के दौरान अथवा आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क से केवल उनके उपयोग हेतु विद्युत के आहरण हेतु प्राधिकृत किया जावेगा । उनके द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा की बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत अस्थाई संयोजन हेतु लागू दर के अनुसार की जावेगी ।

अन्य प्रयोज्य शर्तें :

1.34 आयोग द्वारा भुगतान की पद्धति को उसके द्वारा समय–समय पर जारी किये गये/जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार किया जावेगा ।

1.35 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे उपभोक्ता, जो ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोतों से विद्युत प्रदाय का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, की संविदा मांग में कमी को, म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.06 को अधिसूचित की गई मप्र राज्य में अपारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञेय किया जावेगा ।

1.36 कैप्टिव विद्युत उत्पादकों तथा तृतीय पक्ष विद्युत प्रदायकर्ताओं की बैंकिंग को म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.10.06 को अधिसूचित की गई मप्र राज्य में अपारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने संबंधी प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार, अनुज्ञेय किया जावेगा ।

1.37 चक्रण प्रभार, प्रति सहायतानुदान अधिभार तथा चक्रण प्रभारों पर लागू प्रभार, आयोग द्वारा समय–समय पर निर्णय लिये गये अनुसार लागू होंगे ।

1.38 समस्त विद्युत सहउत्पादकों तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों द्वारा प्रतिक्रियात्मक ऊर्जा (Reactive energy) प्रभारों का भुगतान आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जावेगा। विद्युत उत्पादक द्वारा इन प्रभारों का भुगतान ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को, जिनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन इकाई स्थित है, किया जावेगा ।

1.39 किसी विवाद होने की दशा में, प्रकरण को आयोग को निर्दिष्ट किया जावेगा, जिसका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा ।

संशोधन हेतु शक्ति :

1.40 आयोग किसी भी समय इन विनियम के उपबंधों में जोड़ने, बदलने परिवर्तन करने, सुधारने अथवा संशोधन संबंधी प्रक्रिया कर सकेगा ।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति :

1.41 आयोग किसी स्वप्रेरणा द्वारा अथवा विद्युत सहउत्पादन अथवा नवीकरणीय स्त्रोत अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त किसी आवेदन पर इन विनियमों की समीक्षा कर सकेगा तथा इन विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों को हटाये जाने बाबत् समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

व्यावृत्ति :

1.42 इस विनियमों की कोई भी बात आयेाग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नही करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

1.43 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख आयोग को विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुरूपता में मामलों में व्यवहार करने के लिये एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा, जो यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलिखित करते हुए, आवश्यक या समीचीन समझता हो।

1.44 इन विनियमों में किया गया कोई भी उल्लेख स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) के अधीन किसी मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित नहीं की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कृत्य कर सकता है, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

टीपः इस **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2008 (जी–33, वर्ष 2008)**'' के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों

की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों मे दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा ।

आयोग के आदेशानुसार

(अशोक शर्मा)
आयोग सचिव